

FORM NO.111

उपखण्ड अधिकारी




(नियम 28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

स्वयंसेवा, सहायक वकील वगैरे

किस्म मुकदमा - इजराय

मुकदमा नम्बर - 17/2022

तारीख हुजूम	हुजूम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख प्रकरण जो हुजूम हुजूम की तारीख में जारी हुये
28.04.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री सुदेश सामोता एडवो ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावे। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>दिलीप सिंह</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</b> </p>	
14.11.2022	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में राज पैरोकार नायब तहसीलदार ने अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 116 दिनांक 06.06.2022 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में की जा चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>( दिलीप सिंह )</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)</b>  <b>उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</b> </p>	<p>नामान्तरण संख्या 116 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।</p> <p style="text-align: right;">  </p>

